न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार , आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :— 08/2023

उनवान

1. किशनसहाय पुत्र बल्लूराम
2. गिरधारी पुत्र बल्लूराम
3. गोपीराम पुत्र बल्लूराम
4 रामजीलाल पुत्र बल्लूराम
5 शिम्भूदयाल पुत्र बल्लूराम
6 नाथू पुत्र चोखा

समस्त जाति जाट निवासीयान सुराणा तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

— प्रार्थीगण/आवेदकगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान *

बनाम

1 साधूराम पुत्र गंगासहाय जाति जाट निवासी सुराणा तहसील शाहपुरा
2 मनोज कंवर पत्नि भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी सुराणा
3 केसरसिंह पुत्र चन्दरसिंह
4 गिरधारीसिंह पुत्र चन्दरसिंह
5 मोहनकंवर उर्फ बाला कंवर पत्नि चरणसिंह (नाम हजफ)
5/1 किशनकंवर पत्नि रतनसिंह
5/2 सन्तोष कंवर पुत्र नन्दसिंह
5/3 सम्पत कंवर पुत्र नन्दसिंह
5/4 भवानीसिंह पुत्र नन्दसिंह
5/6 दशरथसिंह पुत्र नन्दसिंह
5/7 दरयाव कंवर पुत्री नन्दसिंह
5/8 जितेन्द्रसिंह पुत्र नन्दसिंह
5/9 गिरीर्राज कंवर पुत्री नन्दसिंह

(नाम हजफ)

समस्त जाति राजपूत, निवासी खुण्डियावास तहसील पर्वतसर जिला नागोर
6 जगदीश पुत्री भैरू जाति जाट
7 नवनीत पुत्र गुरूदयाल जाति जाट
8 सुमित्रा देवी पत्निप कैलाशचख्न्द जाति जाट
समस्त निवासीगण सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
9 भंवरसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत (नाम हजफ)
9/1 किशन सिंह पुत्र भंवरसिंह
9/2 गिरधारीसिंह पुत्र भंवरसिंह
9/3 सुगनकंवर पत्नि भंवरसिंह
10 राजस्थान सरकार (भू—धारक) जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला जयपुर,
11 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा
12 भारतीय स्टेट बैंक शाखा शाहपुरा जरिये प्रबंधक
13 सीताराम देवी पत्नि रामजीलाल जाति जाट निवासी सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर सीता [illegible]

—अप्रार्थीगण

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जिला जयपुर) (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज

प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा –251 क की उप धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010

निर्णय दिनांक 11.6.2025

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि हम आपके उपखण्ड में भूमी धारण कर रहे है तथा खातेदार अभिधारी है और मैं हमारी जोत में पहुँच के प्रयोजन के लिए खातेदारान किशन सहाय पुत्र बल्लूराम, 2. गिरधारी पुत्र बल्लूराम, 3. गोपीराम पुत्र बल्लूराम, 4. रामजीलाल पुत्र बल्लूराम, 5. शिम्भूदयाल पुत्र बल्लूराम, 6. नाथू पुत्र चोखा के खसरा नं. 1034, 838/1, 841, 842, 845, 844 वाके ग्राम सुराना पटवार हल्का सुराना तहसील शाहपुरा की जोत में नया मार्ग खोलने का आशय रखते है। इसलिये हमने राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) की धारा 251 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन करते है। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1044 गै0मु0 रास्ता से लगती हुई भूमि है, प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने के लिए खसरा नम्बर 1034, 838/1, 841, 842, 845, 844 से आगे कोई रासता नहीं है, खसरा नम्बर 838/2, 839, 1044/1347 , 1044/1346, 1044 प्रार्थीगण तक 4 मीटर चौडाई में प्रार्थीगण की जोत तक नया मार्ग की अति आवश्यकता है। तथा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थीगण के आवेदन पत्र के साथ नक्शा प्रस्तावित चिन्हित किया जाकर संलग्न किया है।अन्त में प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर डॉल खसरा नम्बर 838/2, 839, 1044/1347 , 1044/1346, वाके ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा में से 4 मीटर चौडा रास्ता अपनी जोत रास्ता अपनी जोत में आने जाने के लिये दिये जाने के आदेश प्रदान करे तथा प्रार्थीगण प्रस्तावित रास्ते की डी.एल.सी. दर से राशि जमा करवाने के लिये तेयार है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तावित नया मार्ग खोलने व राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की आज्ञा प्रदान करे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रकरण में विधिवत प्रार्थना पत्र पेश होने पर उनका निस्तारण करते हुए प्रकरण में अप्रार्थी सं0 5 के कायम मुकामान को विधिवत रिकार्ड पर लिया जाकर उनके द्वारा हकत्याग करने पर विधिवत नाम हजफ किया गया तथा अप्रार्थी सं0 9 के फौत होने पर उसके वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया । अप्रार्थी सं0 3 स्वंय व अप्रार्थी सं0 5/1 से 5/9 की ओर से उपस्थित आये तथा कोई जवाब पेश नहीं किया गया । अप्रार्थी सं0 2 के द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि का बेचान करने पर अप्रार्थी सं0 13 को विधिवत रिकार्ड पर लिया गया । शेष अप्रार्थीगण बावजूद तामिल के प्रकरण में उपस्थित नहीं आये । जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा को मौका रिपोर्ट हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्रांक/रीडर/23/1063 दिनांक 21.8.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण को एक पक्षीय बहस हेतु नीयत किया गया ।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात्, प्राप्त तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। अवलोकन उपरांत एवं बाद बहस मनन उपरांत जाहिर होता है, कि प्रश्नागत विवादित आराजीयात् में पहुॅच मार्ग हेतु रास्ता नहीं होने से तहसीलदार शाहपुरा द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1044/1346 रकबा 1.70 है0 में सें 4 मीटर × 44 मीटर अर्थात 176 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 1044/1347 रकबा 1.20है0 में सें 4मीटर × 46 मीटर अर्थात 184 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 839 रकबा 0.10 है में सें 4मीटर × 56मीटर अर्थात 224 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 838/2

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राज

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

बा 0.25 है0 में से में सें 4मीटर × 20मीटर अर्थात 80 वर्गमीटर,भूमि जो रास्ता हेतु प्रस्तावित या है के अनुसार अप्रार्थीगण की भूमि में से प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति 1955 की धारा – 251 क की प धारा (1) संशोधन अधिनियम 2010 न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किया जाकर ग्राम सुराणा हसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 1044/1346 रकबा 1.70 है0 में सें 4मीटर × 4मीटर अर्थात 176 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 1044/1347 रकबा 1.20है0 में सें 4मीटर × 46 टर अर्थात 184 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 839 रकबा 0.10 है में सें 4मीटर × 56मीटर अर्थात 24 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 838/2 रकबा 0.25 है0 में से में सें 4मीटर × 20मीटर अर्थात 80 र्गमीटर, कुल 664 वर्गमीटर भूमि तहसीलदार शाहपुरा द्वारा रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की र्तमान में प्रचलित डीएलसी दर से 2 गुना भूमि की कीमत आंकलन कर राशि प्रार्थीगण से सूल कर नियमानुसार खातेदारान/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जाकर राजस्व रिकार्ड व क्शा ट्रेस में सिवायचक गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार ाहपुरा से प्राप्त मौका रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार तहसीलदार ाहपुरा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

(संजीव कुमार खेदड़)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर